



डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: प्रशा./242-A/2025

दिनांक: 18/07/2025

कार्यालय आदेश

मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 14.07.2025 के अनुपालन में यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित की गयी एन्टी रैगिंग से सम्बन्धित दिशा निर्देश/प्रक्रियाओं का विश्वविद्यालयों में अनुसरण करने के क्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की सहायता व रैगिंग को नियंत्रित करने हेतु विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों द्वारा पृथक-पृथक एन्टी रैगिंग समिति व एन्टी रैगिंग स्क्वॉड का गठन किया जाने तथा दोनों समिति के संचालन व निगरानी हेतु विश्वविद्यालय द्वारा डॉ0 राजेश लवानियाँ (आई.ई.टी.) को नोडल अधिकारी को इन निर्देश के साथ नामित किया जाता है, कि वह विश्वविद्यालय यू0जी0सी0 द्वारा एन्टी रैगिंग सम्बन्धित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करवायेंगे।


कुलसचिव
as

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. वित्तअधिकारी
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. प्रभारी कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, कुलसचिव कार्यालय।
5. विश्वविद्यालय की कार्यदायी एजेंसी को इस आशय से प्रेषित की वह इस पत्र को महाविद्यालयों की लॉग-इन आई डी पर अपलोड करें।
6. गार्ड फाइल।

कुलसचिव